भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3203

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निःशुल्क नैदानिक सेवा

3203. श्रीमती भारती पारधी:

श्री अरविंद गणपत सावंत:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत निःशुल्क नैदानिक सेवा पहल शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रयोगशाला सेवाएं कार्यान्वित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उप-केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) और जिला अस्पताल (डीएच) में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में उपकरणों के खराब होने के कारण मरीजों को प्रयोगशाला सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में उपकरणों के खराब होने की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनएचएम के तहत 2015 में निःशुल्क निदान सेवा पहल (एफडीएसआई) शुरू की थी। एफडीएसआई दिशा-निर्देशों ने राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची (एनईडीएल) के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधा स्तर के अनुरूप प्रयोगशाला परीक्षणों के न्यूनतम सेट की सिफारिश की है। इसके बाद, 2019 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के सभी स्तरों पर

निःशुल्क निदान की एक विस्तृत श्रृंखला (आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम)-उप केंद्रों पर 14 परीक्षण, एएएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/यूपीएचसी पर 63, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 97, उप जिला अस्पतालों में 111 परीक्षण और जिला अस्पतालों में 134 परीक्षण) प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला सेवाओं को लागू करने के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ लॉन्च किया जिससे निदान के लिए रोगियों द्वारा किए जाने वाले उच्च जेब खर्च में कमी आई है।

(ख): प्रयोगशाला सेवाएं प्रदान करने वाली एफडीएसआई को सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है, जिनमें से 12 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मिश्रित मोड यानी (पीपीपी के साथ-साथ इन-हाउस मोड) सेवा प्रदायगी में लागू कर रहे हैं और 24 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केवल इन-हाउस मोड के माध्यम से इसे लागू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में, राज्य ने इन-हाउस और पीपीपी दोनों मोड के माध्यम से इसे लागू किया है। राज्य ने लगभग 134 परीक्षणों के संचालन के लिए 50 डीएच और 35 सिविल अस्पतालों में 06 उच्च-स्तरीय ऑटो एनालाइजर (हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मूत्र, हार्मोन, जमावट और एचपीएलसी) के लिए वेट लीज रेंटल अभिकर्मक मॉडल के साथ चयनात्मक परीक्षण आउटसोर्सिंग को अपनाया है। सीएचसी और उससे निम्न स्तर के सुविधा केंद्रों के लिए नमूना परिवहन सेवा प्रदाता द्वारा व्यवस्थित रनर के माध्यम से पीपीपी मोड में किया जाता है । उत्तर प्रदेश में राज्य ने इन-हाउस मोड के माध्यम से एफ़डीएसआई कार्यान्वित किया है । सेवा प्रदायगी 'हब एंड स्पोक' माडल में की जाती है । राज्य ने इन हाउस क्षमता को सुदृढ़ किया है और चयनित सीएचसी (पूरे राज्य में लगभग 125-150 सीएचसी हब लैब) में डायग्नोस्टिक हब स्थापित किए हैं जो आईपीएचएस 2022 दिशानिर्देशों के अनुसार सुसज्जित हैं। एफडीएसआई के तहत सेवा प्रदायगी के तरीके का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है ।

(ग): उप-केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) और जिला अस्पताल (डीएच) में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/New_Updates_2018/NHM_Components/Health_System_Stregthening/Compreciive_primary_health_care/letter/Guidance_document_for_Free_Laboratory_Services.pdf

(घ) और (ङ) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में गैर-कार्यात्मक उपकरणों की समस्या के समाधान के लिए एनएचएम के तहत 2015 में बायोमेडिकल उपकरण प्रबंधन और रखरखाव कार्यक्रम (बीएमएमपी) शुरू किया है। प्रयोगशाला उपकरण बीएमएमपी (पोस्ट वारंटी) के अंतर्गत आते हैं और इन-हाउस, पीपीपी और सेवा वितरण के मिश्रित मॉडल के माध्यम से संचालित होते हैं। राज्य सरकार इस बीएमएमपी पोर्टल के माध्यम से उपकरणों की गैर-कार्यात्मकता की निगरानी करती है, जिससे जिला अस्पताल स्तर पर 95%, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 90% और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 80% रखरखाव समय सुनिश्चित होता है।

*****

अनुलग्नक

माननीय सांसद श्रीमती भारती पारधी, श्री अरविंद गणपत सावंत, श्री श्रीरंग अप्पा चंदू बारणे और श्री धर्मेंद्र यादव द्वारा "निःशुल्क डायग्नोस्टिक सेवा" के संबंध में पूछे गए दिनांक 13.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3203 के उत्तर के **भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक**

एफडीएसआई के तहत सेवा प्रदायगी के तरीके का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**सेवा प्रदान करने का तरीका**
अरुणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तराखंड (12 राज्य)	सेवा प्रदायगी का पीपीपी और इन-हाउस मोड
आंध्र प्रदेश, ए एंड एन द्वीप, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, डी एंड एन हवेली-दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुद्दुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (24 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	सेवा प्रदायगी का केवल इन हाउस तरीका

*****